विचार बिन्दु

जहाँ चक्रवर्ती सम्राट की तलवार कुंठित हो जाती है, वहाँ महापुरुष का एक मधुर वचन ही काम कर देता है। –हरिऔध

उमर खालिद की जमानत याचिका निरस्त होने के निहितार्थ

दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नवीन चावला और शैलेंद्र कौर की खंडपीठ ने उमर खालिद और आठ अन्य लोगों के विरुद्ध यू ए पी ए और भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत चल रहे प्रकरण में जमानत याचिका 2 सितंबर 25 को खारिज कर दी। यह छठी बार था जब उमर खालिद की याचिका खारिज की गई। यहां यह लिखना प्रासंगिक होगा कि बलात्कार के आरोप में दोषी और सजा याफ़्ता आसाराम और बाबा राम रहीम अनेक पार पेरोल पर जेल से बाहर आ चुके हैं।

आइए, देखते हैं, उमर खालिद और आठ अन्य लोगों पर वास्तव में क्या आरोप हैं? इनके विरुद्ध फरवरी,2020 में दिल्ली में हुए दंगों की साजिश रचने का आरोप है। इन दंगों में 53 लोग मारे गए थे। इन पर यू ए पी ए भी लगाया गया है। जमानत याचिका खारिज करने वाले 133 पृष्ठों के निर्णय में न्यायालय ने विस्तार से यह लिखा है कि अभियुक्तों ने आतंकवादी गतिविधियां फैलाने के लिए सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र किया, देश को विदेशों में बदनाम किया एवं सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया। यह उल्लेखनीय है कि उमर खालिद और आठ अन्य लोग गत 5 वर्षों से जेल में बंद हैं। इनके विरुद्ध अभी तक न्यायालय में सुनवाई प्रारंभ भी नहीं हो पाई है। अब तक छह बार इनकी जमानत याचिका खारिज हो चुकी है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अनेक बार यह कह चुके हैं कि न्यायिक प्रकरणों में जेल अपवाद है और बेल यानि जमानत ,नियम। उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज कर के यह स्पष्ट संदेश दे दिया गया है कि यह सिद्धांत सभी लोगों के लिए समान रूप से लागू नहीं होता है। प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और चुनाव विश्लेषक योगेंद्र यादव ने 'इंडियन एक्सप्रेस' में दिनांक 5 सितंबर 2025 को प्रकाशित अपने लेख में यह स्पष्ट बताया है कि मुंबई में जनवरी, 2020 में आयोजित एक बड़े सम्मेलन में जो बातें उमर खालिद ने नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में कही थीं, उस सम्मेलन में वह भी मौजूद थे। उन्होंने भी लगभग वही बातें कही थीं। अतः, उन्हें भी जेल में होना चाहिए था। उन्हें तो एक बार भी पूछताछ तक के लिए नहीं बुलाया गया। इस सम्मेलन में लगभग एक लाख व्यक्ति उपस्थित थे। अतः एक संदेश तो यह गया है कि देश के सभी नागरिकों के लिए कानून समान रूप से लागू नहीं होता। यदि आप बहुत संख्यक वर्ग से हैं तो कानून एक तरह से लागू होगा और यदि अल्पसंख्यक वर्ग से हैं तो वही अलग तरह से लागू होगा।

इसी प्रकार यदि आप सरकार समर्थक विचार के हैं तो आप के साथ उदारता बरती जाएगी और यदि विरोधी विचार के हैं तो वही कानून पूरी सख्ती के साथ लागू किया जाएगा। यह भारतीय संविधान की मूल भावना के विपरीत है, जिसकी प्रस्तावना में कहा गया है कि देश के सभी नागरिकों को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय बिना जाति, धर्म, लिंग, भाषा का भेदभाव के सुनिश्चित कराया जाएगा। उमर खालिद से संबंधित यह निर्णय संविधान की मूल भावना पर गहरी चोट करता है। यह प्रकरण उसी प्रकार इतिहास में कुख्यात होगा जिस प्रकार एडीएम जबलपुर वाला मामला, जिसका निर्णय आपातकाल में दिया गया था और जिसे आज भी नागरिक अधिकारों के हनन के फैसले के रूप में याद किया जाता है।

अभियुक्त के वकीलों ने जब न्यायालय का ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि 5 वर्ष तक बिना ट्रायल के उनके पक्षकार जेल में बंद हैं और इस कारण उनका भविष्य बर्बाद हो रहा है तो न्यायालय ने कहा कि प्रकरण सामान्य गति से चल रहा है और न्याय मिलेगा। यह समझ से परे है कि 5 वर्ष तक ट्रायल प्रारंभ न होना क्या सामान्य गति है? तो फिर, असामान्य गति किसे कहेंगे?

इस निर्णय से दूसरा संदेश यह जाता है कि यदि आप सरकार की विचारधारा के समर्थक हैं तो आपको कानूनी संरक्षण प्राप्त होगा और आपके नागरिक अधिकारों की रक्षा भी होगी, किंतु यदि आप सरकार के किसी भी निर्णय के विरुद्ध खड़े हैं तो फिर न केवल सरकार बल्कि न्यायपालिका भी आपके अधिकारों का हनन करने के लिए तत्पर दिखाई देगी। माना जाता है कि सरकार जब नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन करे तो न्यायपालिका उसकी रक्षा के लिए आगे आएगी। इस प्रकरण में तो ऐसा लगता है, सरकार के दमनकारी रवैये पर न्यायालय ने भी एक प्रकार से न्यायिक मुहर लगा दी है। ऐसे में सामान्य नागरिक क्या करेगा और कहां जाएगा ? संदेश स्पष्ट है, आपकी जो भी विचारधारा हो उसे आप अपने तक सीमित रखिए उसे सार्वजनिक रूप से अभिव्यक्त मत करिए और भूल कर भी सरकार की किसी नीति या निर्णय की सार्वजनिक रूप से आलोचना मत करिए।

सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णयों में कई बार कहा है कि केवल अपने विचार को अभिव्यक्त करना, व्हाट्सएप पर संदेश भेजना, कविता लिखना, नारा लगाना या सरकार कके किसी कानून के विरोध में प्रदर्शन करने को आतंकवादी गतिविधि नहीं माना जा सकता। इसी तर्क के आधार पर अनेक आरोपियों को जमानत भी मिली है। यह जानना भी रोचक है की उमर खालिद वाले प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय में 14 बार तारीख बदली गई। कुछ न्यायाधीशों ने अपने आपको इसकी सुनवाई से अलग कर लिया। इसके कारण सरकार आरोपियों को जेल में रखने में सफल हुई। होना तो यह चाहिए था कि जो व्यक्ति बिना दोष सिद्ध हुए जेल में बंद हो उसके प्रकरण का निस्तारण शीघ्र किया जाना चाहिए था।

जब न्यायपालिका भी अपने आपको स्वतंत्र अनुभव नहीं करेगी एवं दबाव में काम करती दिखाई देगी तो फिर लोकतंत्र की जड़ें कमजोर होने की आशंका उत्पन्न होती है। यही कारण है कि अंतरराष्ट्रीय जगत में भारत को एक कमजोर लोकतंत्र के रूप में देखा जाने लगा है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पैमाने पर भारत दुनिया के नीचे पायदान वाले देशों में सम्मिलित हो गया है।

उमर खालिद और उसके साथियों का दोष केवल यह था कि उसने सी ए ए के विरुद्ध प्रदर्शन में बैठे हुए लोगों का साथ दिया और उनके समर्थन में भाषण दिए और उसने इसे मुसलमान विरोधी बताया।

जब दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मुरलीधर ने भड़काऊ भाषण देने और गोली मारने के लिए उकसाने वाले मंत्री अनुराग ठाकुर, भाजपा नेता कपिल मिश्रा एवं अन्य लोगों के विरुद्ध एफ आई आर दर्ज करने के आदेश दिए तो रातों-रात न्यायाधीश मुरलीधर का स्थानांतरण दिल्ली से बाहर कर दिया गया ताकि वह इस प्रकरण को न सुन सकें न उसके ऊपर कोई निर्णय दे सकें। यही नहीं, वरिष्ठ होने के बावजूद सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश भी इन्हें नहीं बनाया गया।

इससे यह संदेश दिया गया कि जो न्यायाधीश सरकार की इच्छानुसार सत्ताधारी लोगों के पक्ष में निर्णय नहीं देंगे उनके प्रति सरकार कड़ा रुख अपनाएगी ऐसा हमने गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अकील अहमद कुरैशी के मामले में भी देखा था जिन्हें योग्य और वरिष्ठ होने के बावजूद सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं बनाया गया। न्यायाधीश पंचोली की हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति कर दी गई जबकि इसका स्पष्ट विरोध सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश एवं कॉलेजियम की सदस्य न्यायमूर्ति नागरत्ना ने किया था। उन्होंने अपनी विमत वाली टिप्पणी को सार्वजनिक करने हेतु कहा था किंतु ऐसा नहीं किया गया।

जब न्यायपालिका भी अपने आपको स्वतंत्र अनुभव नहीं करेगी एवं दबाव में काम करती दिखाई देगी तो फिर लोकतंत्र की जड़ें कमजोर होने की आशंका उत्पन्न होती है। यही कारण है कि अंतरराष्ट्रीय जगत में भारत को एक कमजोर लोकतंत्र के रूप में देखा जाने लगा है।अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पैमाने पर भारत दुनिया के नीचे पायदान वाले देशों में सम्मिलित हो गया है।

न्यायपालिका का समझौतावादी दृष्टिकोण बिहार के एस आई आर (मतदाता सूचियों का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) वाले प्रकरण से भी स्पष्ट होता है। इसके कारण होने वाली अनेक समस्याओं को प्रभावी रूप से न्यायालय में प्रस्तुत करने के बावजूद इसे अभी तक निरस्त नहीं किया गया। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कोई अंतिम स्पष्ट आदेश जारी करते हैं अथवा नहीं ? यदि ऐसा नहीं किया गया तो सितंबर के अंत में चुनाव आयोग बिहार के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर देगा और उसके बाद न्यायालय का दखल वैसे ही संभव नहीं हो पाएगा।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबसे प्रमुख मौलिक अधिकार है जो लोकतंत्र का प्रमुख स्तंभ भी है। इसी अधिकार पर कार्यपालिका द्वारा लगातार प्रहार किया जा रहा है। कुछ न्यायाधीशों ने साहस करके समय-समय पर इस अधिकार की रक्षा करने का प्रयास भी किया है।

जिस प्रकार से न्यायिक नियुक्तियां में समझौता किया जा रहा है उससे तो लगता है आने वाले समय में न्यायपालिका, कार्यपालिका एवं विधायिका की इच्छा अनुसार ही काम करता हुई दिखाई देगी। यह लोकतंत्र के लिए घातक होगा और फिर देश अघोषित आपातकाल की स्थिति में पहुंच जाएगा।

सभी सरकारी और संवैधानिक संस्थाओं में तो सरकार ने अपनी पसंद के लोगों की नियुक्तियां पहले ही कर रखी हैं। केवल न्यायपालिका कभी कभार स्वतंत्र दिखाई देती है।

उमर खालिद की जिस प्रकार से जमानत याचिका रद्द की गई है, उसे देखते हुए यह आशंका हो गई है कि अब नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने की कोई संस्था साहस ही नहीं करे। यह देश के लिए चिंता का विषय है। ऐसा सामान्यतया "banana republic" देशों में होता है। भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यहां का संविधान सर्वश्रेष्ठ है। यह 145 करोड लोगों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है। इसे बचाने की जिम्मेदारी प्रत्येक नागरिक की है क्योंकि गणतंत्र में उसी की सत्ता सर्वोच्च है। असहमति लोकतंत्र की आत्मा है, ऐसा हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है। इसे बचाने की जिम्मेदारी भी सबसे अधिक उन्हीं की है। आशा है, उमर खालिद और उसके आठ साथी शीघ्र जेल से बाहर आएंगे और सच्चे देशभक्त की तरह देश को आगे बढ़ाने में अपना पूरा योगदान देंगे, अहिंसक जन आंदोलन चलाने को किसी भी रूप में आतंकवादी गतिविधि नहीं माना जाना चाहिए। लोगों को संगठित करना और प्रदर्शन करना गांधी, वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और डॉ बी आर अंबेडकर जैसे स्वतंत्रता सेनानियों ने ही सिखाया है। आशा है संवैधानिक संस्थाएं, विशेषकर न्यायपालिका, पूरी निष्पक्षता और निर्भीकता से नागरिकों के संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों की रक्षा करके लोकतंत्र को सुदृढ करने का कार्य करेंगी।

–अतिथि सम्पादक,
राजेन्द्र भाणावत
(पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी)

शैक्षणिक संस्थान - बुनियादी ढाँचे स्थापित करने के बाद ही खोले जाएं

अशोक कुमार

आज की दुनिया में शिक्षा का महत्व बहुत बढ़ गया है, और शिक्षण संस्थानों का बुनियादी ढाँचा इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसी भी शिक्षण संस्थान की स्थापना से पहले यह सुनिश्चित करना कि उसके पास आवश्यक बुनियादी ढाँचा है, शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने और छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। भारत में नए शिक्षण संस्थानों की स्थापना एक गंभीर मुद्दा है। अक्सर देखा जाता है कि नए स्कूल, कॉलेज, और विश्वविद्यालय बिना पर्याप्त बुनियादी ढांचे के ही खोल दिए जाते हैं, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस समस्या के समाधान के लिए, यह अत्यंत आवश्यक है कि नए संस्थान तभी स्थापित किए जाएं जब उनके पास सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध हों।

एक शिक्षण संस्थान केवल इमारत नहीं है, बल्कि एक ऐसा वातावरण है जहाँ ज्ञान का आदान-प्रदान होता है। एक अच्छी तरह से बनी हुई इमारत, हवादार क्लासरूम, और पर्याप्त रोशनी छात्रों को सीखने के लिए एक बेहतर माहौल प्रदान करते हैं। यह छात्रों की एकाग्रता और शिक्षकों के प्रदर्शन को भी बढ़ाता है।

आज के समय में सिर्फ सैद्धांतिक ज्ञान पर्याप्त नहीं है। विज्ञान, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं और कार्यशालाएं आवश्यक हैं। बिना इनके, छात्र केवल किताबी ज्ञान तक सीमित रह जाते हैं और उन्हें व्यावहारिक अनुभव नहीं मिल पाता।

वर्तमान स्थिति और समस्याएं

वर्तमान में, भारत में शिक्षा क्षेत्र में मात्रा पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है, जबकि गुणवत्ता को अक्सर नजरअंदाज किया जाता है।

अधूरी इमारतें: कई संस्थानों के पास पूरी तरह से बने हुए भवन नहीं होते। क्लासरूम, लाइब्रेरी, और प्रशासनिक कार्यालय आधे-अधूरे होते हैं।

शिक्षकों की कमी: सबसे बड़ी चुनौती योग्य और पर्याप्त शिक्षकों की कमी है। कई संस्थान सिर्फ कागजों पर ही चलते हैं, और वहां पढ़ाने वाले शिक्षक या तो अनुपलब्ध होते हैं या फिर उन्हें सही वेतन नहीं मिलता, जिससे उनका मनोबल कम होता है।

प्रयोगशाला और पुस्तकालय का अभाव: विज्ञान और तकनीकी शिक्षा के लिए प्रयोगशालाएं और सभी विषयों के लिए पुस्तकालय अत्यंत आवश्यक हैं। बिना पर्याप्त उपकरणों और किताबों के, छात्रों को केवल सैद्धांतिक ज्ञान मिलता है, जो उनके भविष्य के लिए पर्याप्त नहीं होता।

कर्मचारियों की कमी: शिक्षण संस्थानों को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रशासनिक और सहायक कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती है, जिनका अक्सर अभाव होता है।

यह स्थिति न केवल छात्रों के भविष्य को खतरे में डालती है, बल्कि पूरे शिक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता को भी कम करती है।

वर्तमान में प्रमुख समस्याएं

भारत में कई नए शिक्षण संस्थान बिना पर्याप्त तैयारी के खोले जाते हैं। इसके कुछ प्रमुख कारण हैं:

निजीकरण और मुनाफाखोरी: कई बार, निजी संस्थान शिक्षा को एक व्यवसाय के रूप में देखते हैं, और जल्द से जल्द मुनाफा कमाना चाहते हैं। इस प्रक्रिया में, वे लागत कम करने के लिए बुनियादी ढाँचे पर खर्च नहीं करते।

सरकार की ढिलाई: नियामक निकाय (जैसे UGC और AICTE) द्वारा बनाए गए नियमों का सख्ती से पालन नहीं कराया जाता। निरीक्षण अक्सर कागजी कार्यवाही तक ही सीमित रह जाते हैं।

राजनीतिक दबाव: कुछ मामलों में, राजनीतिक प्रभाव के कारण भी संस्थानों को बिना पर्याप्त सुविधाओं के ही मान्यता मिल जाती है।

समाधान: सम्पूर्ण बुनियादी ढांचे के बाद ही स्थापना

समस्या का समाधान करने के लिए, सरकार और नियामक निकायों को कुछ कड़े कदम उठाने होंगे:

सख्त नियम और उनका पालन: नए शिक्षण संस्थानों को मान्यता देने से पहले सभी आवश्यक बुनियादी ढाँचों का भौतिक सत्यापन (physical verification) अनिवार्य किया जाना चाहिए। शिक्षकों की भर्ती: यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि किसी भी संस्थान को मान्यता देने से पहले, वहाँ पर्याप्त संख्या में योग्य शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी हो। लोगों को भी इस विषय पर जागरूक होना चाहिए। छात्रों और अभिभावकों को किसी भी संस्थान में दाखिला लेने से पहले उसके बुनियादी ढाँचे और सुविधाओं की जांच करनी चाहिए।

सरकार और नियामक निकाय (Regulatory Bodies) नए शिक्षण संस्थानों को तभी लाइसेंस या मान्यता दें, जब वे निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करें:

भवन और क्लासरूम: संस्थान के पास सभी आवश्यक क्लासरूम, प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, और प्रशासनिक कार्यालय पूरी तरह से तैयार हों।

योग्य शिक्षक: नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो चुकी हो और सभी शैक्षणिक पदों पर योग्य और अनुभवी शिक्षक नियुक्त हों। शिक्षकों की संख्या छात्रों के अनुपात (Student-Teacher Ratio) के अनुसार होनी चाहिए। बिना उचित बुनियादी ढाँचे के योग्य शिक्षक उस संस्थान से जुड़ने में हिचकिचाते हैं। एक अच्छी तरह से सुसज्जित संस्थान, जिसमें शिक्षकों के लिए स्टाफ रूम, लाइब्रेरी और अन्य सुविधाएं हों, उन्हें बेहतर काम करने के लिए प्रेरित करती हैं।

पूर्ण कर्मचारी: प्रशासनिक और सहायक कर्मचारियों की भर्ती भी पूरी हो चुकी हो, ताकि संस्थान का दैनिक कामकाज सुचारू रूप से चल सके।

आधुनिक प्रयोगशालाएं: विज्ञान, इंजीनियरिंग, और अन्य विषयों के लिए अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित प्रयोगशालाएं हों।

पुस्तकालय और संसाधन: एक विशाल और सुव्यवस्थित पुस्तकालय हो जिसमें पर्याप्त किताबें, जर्नल्स और डिजिटल संसाधन उपलब्ध हों।

छात्रों के समग्र विकास के लिए: बुनियादी ढाँचे में सिर्फ क्लासरूम ही नहीं, बल्कि खेल के मैदान, कैफेटेरिया, सभागार और अन्य गतिविधियां शामिल होती हैं। ये सभी छात्रों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए आवश्यक हैं।

संक्षेप में, "शैक्षणिक संस्थान बुनियादी ढाँचे स्थापित करने के बाद ही **खोले जाएँ" का सिद्धांत केवल एक सुझाव नहीं है, बल्कि एक** आवश्यकता है। यह शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने, छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करने, और भारत को एक मजबूत ज्ञान अर्थव्यवस्था बनाने के लिए महत्वपूर्ण है।

–अशोक कुमार,
पूर्व कुलपति, कानपुर एवं गोरखपुर विश्वविद्यालय; पूर्व विभागाध्यक्ष, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

ब्रॉडगेज विद्युतीकरण और सौर ऊर्जा क्षेत्र में भी प्रगति के पथ पर अजमेर मंडल

अजमेर मंडल पर ब्रॉडगेज के सभी खंडों पर 100 प्रतिशत विद्युतीकरण पूर्ण

अजमेर, (कासं)। अजमेर मंडल पर ब्रॉडगेज के सभी खंडों पर 100 प्रतिशत विद्युतीकरण पूर्ण कर लिया गया है। डीआरएम राजू भूतड़ा ने कहा कि भारतीय रेल में आजादी से पूर्व वर्ष 1925 को प्रथम इलेक्ट्रिक गाड़ी का संचालन मुंबई व कुर्ला स्टेशन के बीच किया गया था। इस प्रकार इलेक्ट्रिक गाड़ियों का संचालन करते हुए भारतीय रेलवे को 100 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। इस 100 वें वर्ष में अब अजमेर मंडल भी पूर्ण रूप से ब्रॉडगेज खंड पर इलेक्ट्रीफाइड हो गया है और अधिकांश गाड़ियों का संचालन विद्युत इंजन द्वारा किया जा रहा है। अजमेर मंडल ने मावली-नाथद्वारा खंड का विद्युतीकरण कार्य पूर्ण करते हुए वित्त वर्ष 2025-26 में अपने समस्त ब्रॉडगेज रेल मार्गों का 100 प्रतिशत विद्युतीकरण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।

भूतड़ा ने कहा कि अब तक मंडल में कुल 1030.21 किलोमीटर रेल मार्ग का विद्युतीकरण किया जा चुका है। इस वर्ष 194 करोड़ की लागत के 210 किलोमीटर लंबे उदयपुर-हिम्मतनगर खंड का विद्युतीकरण कार्य भी पूर्ण किया गया तथा इस खंड में 07 जोड़ी यात्री ट्रेनों का संचालन इलेक्ट्रिक ट्रॅक्शन पर प्रारंभ हो चुका है। वर्तमान में अजमेर मंडल के अंतर्गत 110 जोड़ी यात्री ट्रेनों का संचालन विद्युत इंजन के माध्यम से किया जा रहा है, जिससे न केवल इंधन की बचत हो रही है बल्कि पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिला है। विद्युतीकरण के प्रमुख लाभों में डीजल के मुकाबले ऊर्जा दक्ष व इको फ्रेंडली होता है। जीरो कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्ति में मददगार साबित होता है साथ ही आयातित डीजल पर निर्भरता भी कम होती है। अजमेर मंडल ने विगत समय में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति की हैं। मंडल पर अब तक कुल 3590 किलोवॉट पावर क्षमता के सोलर पैनल स्थापित किये गये हैं। इनसे पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ वित्तीय वर्ष 2024-25 में 72.3 लाख एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 में 34 लाख रूपये के राजस्व की बचत भी हुई है।

- **वर्तमान में अजमेर मंडल के अंतर्गत 110 जोड़ी यात्री ट्रेनों का संचालन विद्युत इंजन के माध्यम से किया जा रहा है, जिससे न केवल इंधन की बचत हो रही है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिला है**
- **अब तक मंडल में कुल 1030.21 किलोमीटर रेल मार्ग का विद्युतीकरण किया जा चुका है**

एनआईआरएफ-2025 रैंकिंग में राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय को 89वां स्थान मिला

यह स्थान उच्च शिक्षा, शोध और नवाचार के क्षेत्र में भारत के प्रमुख केंद्रों में स्थापित करता है

अजमेर, (कासं)। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय ने शिक्षा मंत्रालय द्वारा घोषित नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) 2025 में भारत के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में स्थान प्राप्त कर इतिहास रच दिया है। विश्वविद्यालय श्रेणी में 89वां स्थान हासिल किया है, जो इसे उच्च शिक्षा, शोध और नवाचार के क्षेत्र में भारत के प्रमुख केंद्रों में स्थापित करता है। विश्वविद्यालय परिसर में इस उपलब्धि का जश्न मनाया गया।

इस उपलब्धि के साथ, राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय अब भारत के शीर्ष उच्च शिक्षा संस्थानों की विशिष्ट श्रेणी में शामिल हो गया है और यह नए विकास, अवसरों और आकांक्षाओं के अध्याय की शुरुआत का प्रतीक है।

इस अवसर पर राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. आनंद भालेराव ने कहा कि यह रैंकिंग प्रत्येक विद्यार्थी, शिक्षक, शोधकर्ता और कर्मचारी की सामूहिक मेहनत और समर्पण का परिणाम है। शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में स्थान बनाना कोई साधारण उपलब्धि नहीं है, यह तो नियति का अद्भुत उपहार है। विश्वविद्यालय परिसर में इस उपलब्धि का जश्न बड़े उत्साह और गर्व के साथ मनाया गया। पूरे कैंपस में खुशी की लहर दौड़ गई और वातावरण आतिशबाज़ी, तालियों और हर्षोल्लास से गूंज उठा।

- **यह रैंकिंग प्रत्येक विद्यार्थी, शिक्षक, शोधकर्ता और कर्मचारी की सामूहिक मेहनत और समर्पण का परिणाम है : कुलपति प्रो. आनंद भालेराव**

जालोर में आठ दिन से पेयजल आपूर्ति ठप्प

बारिश में विद्युत कटौती के चलते आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है

जालोर, (कासं)। जालोर जिला मुख्यालय पर आठ दिन से पेयजल आपूर्ति नहीं होने से पेयजल संकट गहरा गया है। वहीं बारिश में विद्युत कटौती के चलते आमजन को परेशान का सामना करना पड रहा है।

जालोर में जलदाय विभाग की उदासीनता के चलते पिछले आठ दिन से पानी की आपूर्ति नहीं होने से लोगों को पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आठ दिन से पानी की आपूर्ति नहीं होने से लोगों को मजबूरी में उच्च दाम पर पानी के टैंकर डलवाने पड़ रहे हैं। पानी की किल्लत के चलते पानी के टैंकर वाले मुँह मांगे दाम वसूल कर रहे हैं। वहीं बारिश में अघोषित विद्युत कटौती के चलते लोगों को बारिश में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विद्युत शिकायत का निवारण भी शिकायत दर्ज करवाने के कई दिनों बाद समाधान नहीं हो रहा है। विद्युत व पेयजल समस्या से शहरवासी परेशान हो रहे हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है।

जलदाय विभाग जालोर के जेईएन ने बताया कि विद्युत कटौती लगातार होने से पानी की सप्लाई टंकियों में नहीं हो पाई। वहीं स्थानीय कुंओं की मोटरों में भी पानी भर गया है। अब कुछ जगह विद्युत आपूर्ति बहाल हुई है। एक-दो दिन में नियमित पानी की आपूर्ति हो जायेगी।

राशिफल मंगलवार 9 सितम्बर, 2025

पंडित अनिल शर्मा

आश्विन मास, कृष्ण पक्ष, द्वितीया तिथि, मंगलवार, विक्रम संवत 2082, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र सायं 6:07 तक, गंड योग रात्रि 11:59 तक, तैतिल करण प्रातः 7:51 तक, चन्द्रमा आज मीन राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थितिः सूर्य-सिंह, चन्द्रमा-मीन, मंगल-कन्या, बुध-सिंह, गुरू-मिथुन, शुक्र-कर्क, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह राशि में।

आज सर्वार्थ सिद्धियोग और राजयोग सूर्योदय से सायं 6:07 तक है। आज पंचक, ग्रहण वैध है।

श्रेष्ठ चौघड़िया चर 9:19 से 10:52 तक, लाभ-अमृत 10:52 से 1:57 तक, शुभ 3:50 से 5:03 तक।

राहूकालः 3:00 से 4:30 तक। सूर्योदय 6:13, सूर्यास्त 6:35

मेष

घर-गृहस्थी के खर्चों कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। मन में असंतोष बना रहेगा। स्वास्थ्य संबंधित लापरवाही ठीक नहीं रहेगी। व्यावसायिक खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है।

वृष

आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त हो सकता है। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे।

मिथुन

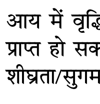

व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। चलते कार्यों में प्रगति होगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कर्क

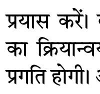

व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिल सकती है। व्यावसायिक वार्ता के लिए दिन अच्छा रहेगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। धार्मिक कार्यों में भाग ले सकते हैं।

सिंह

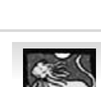

चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। व्यावसायिक परेशानियां अभी बनी रहेगी।

कन्या

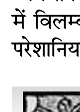

परिवार में आपसी सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। परिवार में धार्मिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक यात्रा संभव है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

तुला

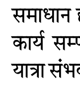

व्यावसायिक कार्यों से संबंधित विवादों से राहत मिल सकती है। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। नवीन कार्यों के संबंध में शुभ संदेश प्राप्त होंगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

वृश्चिक

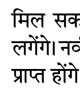

व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक सफलता से आत्मविश्वास बढ़ेगा। चलते कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी।

धनु

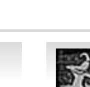

घर-परिवार में वाद-विवाद हो सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधित मामलों में लापरवाही ठीक नहीं रहेगी। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी। आर्थिक मामलों में परेशानी हो सकती है।

मकर

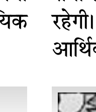

परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। व्यावसायिक अनुबंध प्राप्त हो सकते हैं।

कुंभ

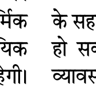

आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। संभावित धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों के लिए भागदौड़ रहेगी। घर-परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं।

मीन

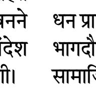

मानसिक तनाव से राहत मिल सकती है। मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। आवश्यक कार्य योजनानुसार बनने लगेंगे। व्यावसायिक आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।